



HAMIRPUR POLICE



थाना जरिया

दिनांक 16.11.2023

01 अदद अवैध तमंचा/कारतूस एवं 02 किलों 300 ग्राम अवैध गांजा के साथ शांति अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 16.11.2023 को थाना जरिया पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर एक नफर अभियुक्त दीपक राजपूत पुत्र शंकरलाल निवासी ग्राम बरगंवा थाना जरिया जनपद हमीरपुर को मंगरौल तिराहे से बहद ग्राम छिबौली से नाजायज तमंचा व गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस सम्बन्ध में थाना जरिया में मु0अ0सं0 300/2023 धारा 3/25 आयुध अधिनियम व 8/20 एनडीपीएस एक्ट में पंजीकृत कर अभियुक्त को न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1) दीपक राजपूत पुत्र शंकरलाल निवासी ग्राम बरगंवा थाना जरिया जनपद हमीरपुर उम्र करीब 25 वर्ष

बरामदगी का विवरण:-

- 1) 01 अदद देशी तमंचा 12 बोर
- 2) 01 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर
- 3) 02 किलो 300 ग्राम नाजायज गांजा

अभि0 का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 199/2020 धारा 147/323/504/506 IPC
2. मु0अ0सं0 316/2020 धारा 3/25 आयुध अधि0
3. एनसीआर नं0 123/21 धारा 323/504 भा0द0सं0
4. मु0अ0सं0 320/21 धारा 3/25 आयुध अधि0
5. मु0अ0सं0 07/2023 धारा 452/147/148/149/354/323/504/506/307/286/427/429 भा0द0सं0 व 07 आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 1932
6. मु0अ0सं0 10/2023 धारा 307/504/506 आईपीसी व 3/25 आयुध अधि0
7. मु0अ0सं0 300/2023 धारा 3/25 आयुध अधि0 व 8/20 एनडीपीएस एक्ट

गिरफ्तार करने वाली टीम

- 1) उ0नि0 रविन्द्र कुमार
- 2) हे0का0 शिवेन्द्र सिंह
- 3) का0 संजीव कुमार

